

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- जगदीश आर्य**

सिविल प्रकरण संख्या:- 10/2024

तारीख रजू 23.02.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

1. श्री कृष्ण अवतार मित्तल पुत्र श्री गिराज प्रसाद (विक्रेता) मैसर्स मित्तल ब्रदर्स, मैन बाजार मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर
2. दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द गोयल (पार्टनर) मैसर्स कैलाश चन्द दिनेश कुमार गोयल गौरव पथ, पूरोहित नगर, न्यू अनाज मंडी के पास, लालसोट, जिला दौसा 303503
3. राजबिहारी गोयल (पार्टनर) मैसर्स कैलाश चन्द दिनेश कुमार गोयल गौरव पथ, पूरोहित नगर, न्यू अनाज मंडी के पास, लालसोट, जिला दौसा 303503
4. मुरारी लाल गोयल (पार्टनर) मैसर्स कैलाश चन्द दिनेश कुमार गोयल गौरव पथ, पूरोहित नगर, न्यू अनाज मंडी के पास, लालसोट, जिला दौसा 303503
5. ईस्लामुददीन पठान (नोमिनी) मैसर्स महान मिल्क फूड लि0 (जेएपी) प्लाट नं. 44 प्रथम फ्लोर, अम्बाबाडी शॉपिंग सेन्टर, देना बैंक के पास जयपुर (राज.)
6. श्री संजीव गोयल (निदेशक) मैसर्स महान मिल्क फूड्स लि0 प्लाट नं. बी 37- बी 41/डी 31-डी 35 यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सलेमपुर, नीयर बीपीसीएल प्लांट, हाथरस उत्तर प्रदेश पिन कोड- 204102
7. मैसर्स महान मिल्क फूड्स लि0 प्लाट नं. बी 37- बी 41/डी 31-डी 35 यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सलेमपुर, नीयर बीपीसीएल प्लांट, हाथरस उत्तर प्रदेश पिन कोड- 204102
..... अभियुक्तगण

**न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(v)/51 & 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं
नियम 2011**


निर्णय:-

दिनांक 28.05.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दिनांक 27.02.2023 को दोपहर 02.00 पी.एम. पर उक्त फर्म मैसर्स मित्तल ब्रदर्स, मैन बाजार मलारना चौड, सवाई माधोपुर संस्थान पर पहुंचा। संस्थान पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने अपने आप को विक्रेता होना बताया एवं

**न्याय निर्णयन आवेदक
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर**

अपना नाम कृष्ण अवतार मित्तल पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मित्तल होना बताया एवं श्री कृष्ण अवतार मित्तल को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी (महान) 200-200 एमएल की पैकिंग में काउन्टर पर रखे थे। उक्त घी (महान) में गुणवत्ता/मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 4 पैकेट मूल कम्पनी पैकेट खरीदकर उनकी कीमत 420/- रूपये विक्रेता श्री कृष्ण अवतार मित्तल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान श्री बाबूलाल एवं बृजमोहन मीना के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 पैकेट घी (महान) मूल कम्पनी पैकेट पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं H-2641 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। एवं चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2641 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री कृष्ण अवतार मित्तल विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं० 5ए की एक प्रति श्री कृष्ण अवतार मित्तल को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति के एक आउटर कवर् में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/515-518 दिनांक 06.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/511/एक्ट/2023/580 दिनांक 08.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थघी (महान) सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स होना पाया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसंधान हेतु मैसर्स मित्तल ब्रदर्स को पत्र लिखकर अग्रिम माल खरीद


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर


बिल हेतु पत्र लिखा जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स कैलाशचन्द दिनेश कुमार गोयल द्वारा खरीदना बताया एवं मैसर्स कैलाश चन्द दिनेश कुमार गोयल ने उक्त घी (महान) महान मिल्कू फूड लि० जेएपी प्लाट नं. 44, फर्स्ट फ्लोर अम्बाबाडी शॉपिंग सेन्टर की ईन्वॉईस संख्या एसआईडी-जेपी-2223-1076 दिनांक 10.01.2023 द्वारा खरीदना बताया एवं फर्म महान मिल्क फूड लि० जेएपी को पत्र एवं ईमेल भेजकर सूचना चाही गयी जिस पर प्रतिउत्तर में फर्म ने ईस्लामुददीन पठान को जयपुर स्थित मैसर्स महान मिल्क फूड लि० (जेएपी) ने अपना राजस्थान प्रदेश का नोमिनी ईस्लामुददीन पठान को होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति एवं अग्रिम माल खरीद बिल उपलब्ध नहीं करवाये। चूंकि उक्त घी (महान) एगमार्क, मैसर्स महान मिल्क फूड लि०, प्लाट नं. बी 37- बी 41/डी 31-डी 35 यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सलेमपुर, नीयर बीपीसीएल प्लांट, हाथरस उत्तर प्रदेश पिन कोड- 204102 द्वारा तैयार किया गया है इस अनुसंधान हेतु एफएसएसएआई मुख्यालय गाजियाबाद को मेल कर सेन्ट्रल लाइसेन्स धारी फर्म की सूचना चाही गई परन्तु सूचना उपलब्ध नहीं होने पर एवं महान मिल्क फूड लि० (जेएपी) द्वार अपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाने पर एवं अग्रिम माल खरीद बिल भी उपलब्ध नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 (डी) के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स घी (महान) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 2(v) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 58 में जुर्माना योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक ने अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स घी (महान) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 58 का उल्लंघन किया है।

अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की दुकान से घी (महान) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अभियुक्त संख्या 1 ने अभियुक्त संख्या 2, 3 व 4 से जरिये बिल व सिल्डशुदा पैकेट का माल खरीदा है तथा अभियुक्त संख्या 2, 3 व 4 ने अभियुक्त संख्या 5, 6 व 7 की फर्म से जरिये बिल व सिल्डशुदा पैकेट का माल खरीदा है। इस कारण अभियुक्त संख्या 1, 2, 3 व 4 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाने की कृपा करे। अन्त में अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 7 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।



न्याय निर्णयन आवेदक
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/511/एक्ट/2023/580 दिनांक 08.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (महान) सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा जरिये अधिवक्ता बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण में न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) एवं 2(v)का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूँकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स प्रकृति के खाद्य पदार्थ घी (महान) का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर 75,000/-रु0 (अक्षरे पिचहत्तर हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर